69

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 765-एक/16 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-2-16- पारित द्वारा - तहसीलदार, शाढौरा जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 95 अ-6-/2014-15

श्रीमती कल्लोवाई पत्नि स्व0 मंगल सिंह रघुवंशी
ग्राम शाढौरा तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर -----आवेदिका

विरूद्ध

1- भूरियावाई पत्नि महाराज सिंह रघुवंशी
2- कालियावाई पत्नि रंधीर सिंह रघुवंशी
निवासी अशोकनगर जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

;आज दिनांक 08- 03 -2018 को पारितद्ध

यह निगरानी तहसीलदार, शाढौरा जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 95 अ-6/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-2-16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदकगण की ओर से तहसीलदार शाढौरा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक के पति एंव अनावेदकगण के भाई स्वर्गवासी मंगल सिंह रघुवंशी के नाम ग्राम शाढौरा में भूमि सर्वे क्रमांक 837 रकबा 0.742 हैक्टर है जिसमें एक मकान व वाखर

है जिसकी बसीयत 9-9-14 को कराई गई है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। सुनवाई के दौरान दिनांक 4-12-15 को आवेदिका ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम शाढौरा में भूमि सर्वे क्रमांक 837 रकबा 0.742 हैक्टर उसके पति के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसकी वह कब्जेदार है। स्वर्गीय मंगल सिंह की आवेदिका विवाहिता पत्नि है एंव एकमात्र बैध वारिस है। बसीयत के आधार पर नामान्तरण का आवेदन उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है एंव इस दावे की कोई जानकारी भी उसे नहीं है अपितु अनावेदकगण जो रिस्ते में उसकी नन्द हैं द्वारा फर्जी बसीयत तैयार कराकर चुपचाप गोपनीय तरीके से तहसील में नामांतरण का दावा पेश कर दिया है एंव षड़यॅत्र को छिपाने के उद्धेश्य से आवेदिका का नाम लिखा है इसलिये बसीयत दिनांक 9-9-14 के आधार पर प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन निरस्त किया जाय एंव उसके स्थान पर आवेदिका का फोती नामांत्रण किया जाय। इस आपत्ति पर तहसीलदार शाढौरा ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 12-2-16 पारित किया तथा निर्णय लिया कि आपत्तिकर्ता कल्लोवाई के अंगूठा निशानी का प्रमाणित दस्तावेज पेश करे। तत्पश्चात् अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ से जांच करवाई जा सके। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नामांत्रण आवेदन पर तीन निशानी अंगूठा लगे हैं एंव जिसमें से एक अंगूठे के निशान आवेदिका के हैं परन्तु तहसीलदार के समक्ष आवेदिका उसके अंगूष्ट के निशान न होने का तथ्य बता रहा है और जब फिंगर स्पेरिलस्ट पुष्टिकरण/अपुष्टिकरण न करे तब तक आवेदिका की आपत्ति प्रमाण के अभाव में गलत है इसलिये तहसीलदार द्वारा लिया गया निर्णय सही है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि नामांत्रण आवेदन दिनॉक 18-8-15 पर आवेदिका एंव अनावेदकगण के निशानी

अंगूठा लगे हैं और यह भी सही है कि जब तक अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ यह प्रमाणित न कर दे कि महिला कल्लोवाई पत्नि स्व. मंगलसिंह के नाम पर लगा अंगंष्ट चिन्ह महिला कल्लोवाई का नहीं है स्थिति स्पष्ट होना संभव नहीं है जिसके कारण तहसीलदार शाढौरा व्दारा आदेश दिनांक 12-2-16 से लिया गया निर्णय सही प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, शाढौरा जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 95 अ-6/2014-15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-2-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर